न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 9/2022 तारीख दायर :–13.06.2022 दिनांक निर्णय :–04.07.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.जयराम पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ अलवर

2.राजेन्द्र पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ अलवर

3.हीरालाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल जयराम, राजेन्द्र, हीरालाल पुत्रान गंगाधर जाति मीना निवासी मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा वाके ग्राम मोतीवाड़ा के गैर मुमकिन रास्ता आ0ख0न0 1549 रकबा 0.23 हे0 के भाग 0.10 हे0 पर सम्वत 2079 में पत्थर, बजरी व कच्ची नींव खोदकर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायलान की ओर से जयराम उपस्थित आया। गैरसायलान की ओर से नोटिस जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायलान द्वारा नोटिस जवाब में अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है एंव पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 13.06.2022 के अनुसार गैरसायल द्वारा पत्थर, बजरी व कच्ची नींव खोदकर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल जयराम, राजेन्द्र, हीरालाल पुत्रान गंगाधर जाति मीना निवासी मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर काबिल बेदखली है। गैरसायल के विरूद्ध शरह लगान की 1.00 की 50 गुणा में राशि 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते है कि पडी हुई पत्थर, बजरी को कब्जेराज लेकर, निलामी वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का मोतीवाड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 04.07.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 09 प्र.स. सि.च.पै. 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

(जुगिता देवी मीना)
तहसीलदार राजगढ़
जिला अलवर

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)